न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3864–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–11–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 351/10–11/अपील.

1– बसन्तीबाई पत्नी श्री विजय कुमार

2– मिथेलेश पुत्री श्री विजय कुमार
समस्त निवासी मेहर मोहल्ला चाचौड़ा
जिला गुना म.प्र. ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– विजय कुमार पुत्र छीतरमल
निवासी घाटा विल्लोद जिला धार

2– सुशीला बाई पुत्री छीतरमल
निवासी गुना

3– वसन्तीबाई पत्नी ऊंकारलाल
4– महेश
5– कैलाश
6– मोहन
7– सुदेश
पुत्रगण ऊंकारलाल
निवासीगण कलालसेरी नमक मण्डी, उज्जैन
जिला उज्जेन म.प्र. ----- अनावेदकगण

श्री एम. आर. गुप्ता, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04-8-2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 351/10–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 5–11–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–10 द्वारा भूमिस्वामी छीतरमल के फौत होने पर उसके स्वामित्व की विवादित भूमियों पर वारिसाना के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध अपील एस.डी.ओ. के समक्ष की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 24–6–11 द्वारा निरस्त की गई । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदश विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के सारवान प्रश्नों तथा रिकार्ड का सही अवलोकन किये बिना विपर्यस्त निष्कर्ष निकाले हैं । अधीनस्थ न्याालय ने द्वितीय अपील में स्थगन जारी किया था किंतु स्थगन जारी रहने के दौरान ही पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश का खुला उल्लंघन कर आवेदिका मिथलेश का नाम कम्प्यूटर से हटा दिया गया है जो अवैधानिक है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकों को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकों का 1/4 हिस्सा मान्य किया गया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों क आदेशों को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण एकपक्षीय हैं ।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का होकर तहसील में वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए थे जिसके विरूद्ध प्रथम तथा द्वितीय अपीलें कमशः अनुविभागीय अधिकारीएवं अपर आयुक्त ने अस्वीकार की हैं । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बसंतीबाई आदि ने व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जो अस्वीकार होकर उसके विरूद्ध अपील जिला न्यायाधीश ने स्वीकार की इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नामांतरण के आदेश उत्तराधिकार के आधार पर

दिए जाने के आदेश दिए हैं । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश सुसंगत औचित्यपूर्ण और न्यायिक होकर पुष्टि योग्य है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर